# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 1977/2022**

मुन्ना लाल मोठा

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, सिविल लाईन्स, जयपुर।
3. आयुक्त, आयुक्त, नगर निगम, जलेबी चौक, जयपुर।
4. उप आयुक्त, नगर निगम हेरिटेज, सिविल लाइन्स, जयपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**आदेश की दिनांक** : 14.02.2024

**उपस्थिति :–**

अपीलार्थी की ओर से : श्री के.के. शर्मा, अभिभाषक

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर दिनांक 24.01.1997 को हुई थी। उसके पश्चात अभी तक अपीलार्थी को स्थाई नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने आर.एस.सी.आई.टी. का कोर्स भी उत्तीर्ण कर लिया है, परंतु उसके उपरांत भी अपीलार्थी को अब तक स्थाई नहीं किया गया है। अपीलार्थी को नियमानुसार स्थाई किये जाने एवं उसके पश्चात पदोन्नति का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
3. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 माह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है

कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 माह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

4. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**